भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5119

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

रक्षित कोयला ब्लॉक

5119. श्री वी॰के॰ श्रीकंदनः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि–अधिग्रहण और विभिन्न मंजूरियों में देरी और पुनर्वास तथा व्यवस्थापन जैसी समस्याओं के कारण रक्षित कोयला–ब्लॉकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2018–19 में रक्षित खानों ने अनुमानित रूप से 33 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ब्लॉकों का उत्पादन शुरू होना अभी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां। कैप्टिव कोयला ब्लॉक का विकास एक प्रमुख परियोजना है तथा इसमें राज्य/केंद्रीय एजेंसियों से विभिन्न अनापत्तियां प्राप्त करने के लिए तीन से चार वर्ष की विकास अवधि होती है। कुछ मामलों में कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का विकास प्रभावित हुआ है क्योंकि आवंटिती आबंटन करार में निर्धारित समय-सीमा के भीतर राज्य/केंद्रीय एजेंसियों से पर्यावरण अनापत्ति, वन अनापत्ति, खनन पट्टा एवं भूमि की खरीद/अधिग्रहण/ दाखिल खारिज जैसे विभिन्न अनुमोदन/अनापत्तियां प्राप्त नहीं कर सके थे।

(ख) : वित्त वर्ष 2018-19 में कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत आवंटित केप्टिव कोयला खानों से कुल उत्पादन 49.93 मि.ट. है।

(ग) तथा (घ) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कुल 68 केप्टिव कोयला खानों का आवंटन किया गया है। इन 68 कोयला खानों में से 29 को खान खोलने की अनुमति मिल चुकी है। इन 29 कोयला खानों में से 17 कोयला खानों में उत्पादन शुरू हो चुका है। शेष 12 कोयला खानों में से 04 कोयला खानों में ओवर बर्डन हटाने का कार्य चल रहा है, 05 कोयला खानों को मार्च-अप्रैल, 2019 में ही खान खोलने की अनुमति मिली है तथा माइन-डैव्लपर-कम-ऑपरेशन से संबंधित 03 कोयला खानों के न्यायिक मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत 10 केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है जिनमें से किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उत्पादन की निर्धारित तारीख वर्ष 2022 में है। इसके अलावा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत 04 केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है जिनमें से 03 में उत्पादन हो रहा है।

*****